

कार्यालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा (राज0)

क्रमांक / 2022 / 117-132

दिनांक:- 2/11/22

प्रेषिति-

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,
(सहायता) कोटा

विषय:- अतिवृष्टि से आवासीय मकानों में कपड़े एवं बर्तन/घरेलू सामानों की क्षति के मुआवजे के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नगर निगम उत्तर तहसील लाडपुरा में दिनांक 22.08.2022 को अतिवृष्टि के कारण सारिणीबद्ध आवेदकों को आवासीय मकानों में कपड़े एवं बर्तन/घरेलू सामानों की क्षति हुई है। अतिवृष्टि के कारण आवासीय मकानों में कपड़े एवं बर्तन/घरेलू सामानों की क्षति प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आता है।

सारिणीबद्ध आवेदकों के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। अतः सारिणीबद्ध आवेदक को एन डी आर एफ/एस डी आर एफ के नियमों के तहत आर्थिक सहायता दिये जाने की अनुशंसा की जाती है। उक्त आवास 2 दिवस तक पानी में डुबे रहने के कारण कपड़े एवं बर्तन/घरेलू सामानों क्षति हुई है।

सारिणीबद्ध आवेदकों ने सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। आवेदकों द्वारा एन डी आर एफ/एस डी आर एफ के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु डी एम आई एस पोर्टल पर आवेदन किया हुआ है।

क्र0स0	प्रभावितों का नाम	रजिस्ट्रेशन क्रमांक
1	राहुल/मोतीलाल	AR/KOTA/2022/0 41475
2	सावित्री/पुरा	AR/KOTA/2022/0 41477
3	गीता/परमानन्द	AR/KOTA/2022/0 41478
4	दीपक सुरेश	AR/KOTA/2022/0 41479


तहसीलदार लाडपुरा
जिला कोटा (राज.)